


कार्यालय आदेश

श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र श्री राम उजागिर चौधरी ने रेल सेवा में आने से पूर्व प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रवक्ता विद्युत अभियन्त्रण पद हेतु उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद में आवेदन किया था एवं रेल सेवा में रहते हुए इनका तयन उक्त पद हेतु हो गया था जिसके साक्षात्कार हेतु कर्मचारी ने इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 09.09.2010 के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु रेल सेवा से कार्यमुक्त करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 18.03.2011 को दिया था जिसके अन्तर्गत श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी को कार्यमुक्त करने हेतु संशोधित आवश्यक बन्धपत्र भरा दिया गया है, जो रेलवे में नियुक्ति से पूर्व श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी द्वारा एक बन्ध पत्र प्रस्तुत किया था यह उसके कम में है। अतः कर्मचारी को उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु उनके द्वारा तकनीकी त्याग पत्र को स्वीकृत करते हुए कार्यमुक्त करके भेजा जाता है।

श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी का धारणाधिकार (लियन) उनके मूल पद पर नियमानुसार दो वर्ष के लिए ही संरक्षित रहेगा। तत्पश्चात उनका कोई दावा इस पद हेतु मान्य नहीं होगा।

उपरोक्त पर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

पत्र सं० : 220 ई०/2-6/वी०के० चौधरी


(राजेन्द्र प्रकाश)
कृते मण्डल रेल प्रबंधक (कार्मिक)
उत्तर रेलवे, लखनऊ

प्रतिलिपि :

- वरिष्ठ मण्डल विद्युत अभियंता/सामान्य/उ० से०, लखनऊ
- विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग -2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उनके प० सं० 128/16-2-2011-33 (ई)/2009 दिनांक 21.02.2011 के संदर्भ में।
- वरिष्ठ खण्ड अभियंता/विद्युत/स्टेशन एरिया/चारबाग/लखनऊ
- श्री वीरेन्द्र कुमार चौधरी /वरिष्ठ खण्ड अभियंता/विद्युत/स्टे० एरिया/चारबाग,लखनऊ